न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज0)
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत-अटल सेवा केन्द्र माकरोडा

रा.प्रा.पत्र सं..179/2017

बनाम

प्रार्थी

श्री विपीन कुमार पुत्र अशोककुमार
जाति अग्रवाल आयु 34 वर्ष पेशा
खेती व पैथोलोजिस्ट नि.माकरोडा
तहसील व जिला सिरोही

अप्रार्थीगण

1– जगदीशचन्द्र पुत्र स्व.मदनलाल जी
जाति अग्रवाल आयु 75 वर्ष पेशा व्यापार
निवासी माकरोडा तहसील व जि. सिरोही
2– श्री अशोककुमार पुत्र स्व.मदनलाल जी
जाति अग्रवाल आयु 62 वर्ष पेशा व्यापार
निवासी मांकरोडा तहसील व जिला सिरोही
3– श्रीमति विमला पुत्री स्व.मदनलालजी पत्नि
ओमप्रकाशजी जाति अग्रवाल आयु 73 वर्ष
पेशा गृहणी निवासी जज-23-साईकृपा फेब्रीक्स
न्यू क्लोथ मार्केट अहमदाबाद गुजरात
4– श्रीमति वीणा पुत्री स्व.मदनलालजी पत्नि अर्जुन
अग्रवाल जाति अग्रवाल आयु 59 वर्ष पेशा
गृहणी निवासी मार्फत नीतीन अग्रवाल बी.802
बीनोरी सोलीटेयर सोबो सेन्टर के पिदे साउथ
बोपल-अहमदाबाद गुजरात
5– श्रीमति मधु पुत्री स्व.मदनलालजी-पत्नि दिनेशजी
अग्रवाल जाति अग्रवाल आयु 57 वर्ष पेशा
गृहणी निवासी सत्यजीत निवास नदी के किनारे
पत्थरगली आबूरोड तहसील व जि.सिरोही.
6– उप पंजीयक-उपपंजीयक कार्यालय सिरोही
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी श्री विपीन कुमार अग्रवाल
2– अप्रार्थी संख्या एक जगदीशकुमार अग्रवाल
3– अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से तहसीलदार-सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 81 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत

निर्णय

दिनांक 22–6–2018

प्रार्थी ने यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 81 राज. भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 6–10–2017 सरपंच ग्राम पंचायत माकरोडा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक की इस न्यायालय मे दिनांक 3–11–2017 को पेश की है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र मे निवेदन यह किया कि संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम मांकरोडा पटवार हल्का माकरोडा तहसील व जिला सिरोही मे निम्न वर्णित कृषि आराजी स्थित है :–

क्र.सं.	खाता सं. नये	खसरा संख्या नये	किस्म	रकबा (हैक्टेयर)
1	230	292	गै.मु.चाह	0.01
2	230	293	चाही 3	6.47
		कुल किता 2 रकबा 6.48 हैक्टेयर		

उक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नंबर 292 व 293 स्व.मदनलाल पुत्र छोगालालजी जाति अग्रवाल निवासी माकरोडा के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि है जिस पर मदनलाल पुत्र छोगालालजी काश्त कर अपना गुजारा चलाते थे उक्त खसरा आराजी रियासत काल मे मदनलाल पुत्र छोगालालजी द्वारा स्वअर्जित है-तब से उक्त कआराजी पर मदनलाल पुत्र छोगालालजी अग्रवाल काश्त करते आ रहे ाि । उक्त खातेदार मदनलाल पुत्र छोगालालजी अग्रवालि की मृत्यु दिनांक 19–8–2017 को हुई है व स्व. मदनलाल की पत्नि श्रीमति लक्ष्मीदेवी की वृद्वावस्था व बीमारी मे सेवा चाकरी प्रार्थी ने ही की है तथा प्रार्थी के पास ही पिछले कई वर्षो से रहते थे इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्व. मदनलाल जी की सेवा चाकरी व भरण पोषण करने पर श्री मदनलालजी ने अपने जीवनकाल मे उक्त वर्णित

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No-2

आराजी व अपनी अन्य संपति को अपनी स्वतंत्र ईच्छा से जरिये वसीयत दिनांक 8-8-2017 द्वारा प्रार्थी विपीनकुमार अग्रवाल को दी गयी है,उक्त वसीयतनामा उपपंजीयक सिरोही कार्यालय द्वारा पंजीकृत है,इस प्रकार वर्णित अआराजी को उसके दादा/पितामह स्व. मदनलालजी द्वारा निष्पादित वसीयत मे प्राप्त हुई है। प्रार्थी स्व. मदनलालजी का पौत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता लगायत 5 स्व. मदनलालजी के पुत्रगण व पुत्रीयॉ है तथा एक ही परिवार के सदस्यगण है प्रार्थनापत्र पद संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजी पर स्व.मदनलालजी द्वारा उनके जीवनकाल मे काश्त की जाती थी तथा उनकी मृत्यु से पहले स्व.मदनलालजी के वृद्वावस्था मे तथा जईफ उम्र मे बीमार होने से उक्त आराजी पर मदनलालजी ने अपने जीवनकाल मे ही प्रार्थी को काबिज काश्त किया था तब से आज तक उक्त आराजी पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा मदनलालजी ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी को प्रार्थी के पक्ष मे अंतिम वसीयत निष्पादित कर मृत्यु बाद उक्त आराजी प्रार्थी को देना अंतिम ईच्छा जाहिर की है,इस प्रकार वर्णित आराजी प्रार्थी को मदनलालजी से वसीयत मे प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी विपीन अग्रवाल स्व. मदनलालजी के जीवनकाल से ही उनकी सहमति से आज दिन तक शान्तिपूर्वक काश्त करता आ रहा है जिसकी अप्रार्थीगण को पूर्णतया जानकारी है। इस प्रकार उक्त कआराजी मे प्रार्थी का ही एक मात्र सम्पूर्ण हक हिस्सा है,एवं मोके पपर मदनलालजी के जीवनकाल मे उनकी स्वेच्छा व सहमति से उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थी ही शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। मदनलालजी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ने अपने पितामह/दादा स्व. मदनलाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे उक्त अआराजी की निष्पादित वसीयत के बिनाय पर प्रार्थनापत्र मे पद संख्या 2 मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नामान्तकरण दर्ज करने हेतू पटवार हल्का मांकरोडा से सम्पर्क किया तब पटवार हल्का मांकरोडा द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजी पर स्व. मदनलालजी द्वारा पी.एन.बी. शाखा सिरोही से के.सी.सी..ऋण लिया हुआ होने से सर्वप्रथम उक्त आराजी की बकाया ऋण राशि जमा कर रहनमुक्त करवाने को कहा जिस पर प्रार्थी ने उक्त आराजी को बकाया ऋण राशि पंजाब नेशनल बैंक सिरोही मे जमा करवाकर रहन मुक्त करवाया एवं तत्पश्चात प्रार्थी ने पटवार हल्का मांकरोडा से उक्त आराजी मे मदनलालजी द्वारा की गई वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया तथापि पटवारी हल्का ने उक्त वसीयतनामा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नही कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 से मेल मिलाप कर प्रार्थी को बिना सुने ही व बिना कोई नोटिस जारी किये मौके की स्थिति के विपरित अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष मे ग्राम पंचायत मांकरोडा से नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 6-10-2017 दर्ज कर स्वीकृत कर लिया तथा प्रार्थी के पक्ष मे म्यूटेशन भरने से मना किया,तब प्रार्थी ने उक्त कृषि आराजी के नामान्तकरण की नकल दिनांक 26-10-2017 को नियमानुसार प्राप्त करने पर उक्त विधि विरूद्व नामान्तकरण की हकीकत जानकारी हुई । प्रार्थी उक्त आराजी का जरिये वसीयत खातेदार कृषक होकर आज तक काबिज काश्त है एवं मृतक मदनलालजी द्वारा निष्पादित वसीयत आज दिन तक कानूनन प्रभारी होने से उक्त अआराजी मे अप्राथ्री संख्या 1 ता 5 का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार नही है तथापि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उकत आराजी को येनकेन प्रकारेण स्वार्थपरता वश हडप करने पर उतारू है जिसका उन्हे कानूनन कोई हक अधिकार नही है,इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का संतुलन भी रेकर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखने मे है ,अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 सम्पूर्ण वादग्रस्त आराज मे स्थित प्रार्थी के हक हिस्से कब्जे काश्त मे बिना किसी हक अधिकार कृषि कार्य करने मे दखलंदाजी कर बाधा उत्पन्न करने पर आमदा है जिससे प्रार्थी को बहुविवाद मे उलझना पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो मे नही किया जा सकता है जिसके लिये प्रार्थी के हित मे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थित को ताफैसला अपील यथावत यथावत बनाये रखा जाना न्यायसंगत है अतएव ग्राम पंचायत माकरोडा द्वारा स्वीकृत विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 6-10-2017 की पालना एवं कियान्विति प्रभाव को तानिर्णय अपील स्थगित किया जाना प्रार्थी के न्याय हित मे है इसके विपरित यदि उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वासरा उक्त विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 531 के आधार पर किसी अन्य सख्स को हस्तान्तरण कर प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो उसको अपरणीय क्षति होगी व असुविधा होगी । अतः प्रार्थी का नम्र निनवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र विरूद्व हअप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत मांकरोडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 46-10-2017 को पालना व कियान्विति प्रभाव एवं उक्त विधि विरूद्व नामान्तकरण के बिनाय पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि किसी अन्य सख्स को विकय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तकरण नही करें जिस हेतु मौका व रेकर्ड की यथास्थिति ताफैसला अपील बनाये रखे जाने के आदेश पारित कराना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28-8-2017,म्युटेशन संख्या 531 दिनांक 26-10-2017,वसीयतनामा दिनांक 28-8-2017 मृतक खातेदार मदनलाल की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 230 खसरा नंबर 292 रकबा 0.0100 हेक्टेयर,खसरा नंबर 293 रकबा 6.4700 हेक्टेयर आधार कार्ड मृतक मदनलाल व विपीनकुमार प्रार्थी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो अपील मे अंकित तथ्यों से

Continue page No 3

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 3–11–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 तक को जवाब पेश करने हेतु नाटिस जारी किये गये । जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–1–2018 को अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6 व 7 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । तथा अपप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 की ओर से वकील श्री कलीम अव्वल ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया । वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिदनांक 20–2–18,6–3–2018 ,20–4–2018 को निरन्तर पर्याप्त अवसर देने के बावजूद आज दिन तक सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने से अप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 का जवाब बंद करने का आदेश दिया गया ।

आज दिनांक 22–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र माकरोडा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये । विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 7 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र अशोककुमार निवासी मांकरोडा द्वाारा यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 81 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया है। प्रार्थी के दादा श्री मदनलाल पुत्र छोगाजी अग्रवाल के नाम खातेदारी भूमि खसरा नंबर 292,293 किता 2 रकबा 6.48 हेकअेयर आया हुआ है। जिसका मौका निरीक्षण करने पर मौके पर जाकर जांच करने पर मौके पर उक्त खसरा नंबर 292,293 किता 2 रकबा 6.48 हेक्टेयर पर प्रार्थी के काश्तकार श्री मगनलाल पुत्र छोगाजी वागरी निवासी मांकरोडा व सेताराम पुत्र ताराजी मेघवाल निवासी मांकरोडा हाजिर मिलले । उनके द्वारा बताया गया कि उक्त विवादित खसरो पर हमे भोगवटे के तौर पर श्री विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी मांकरोा द्वारा कहने पर काश्त कर रहे है। इनके द्वारा बताया कि उक्त आराजी पर श्री विपिन कुमार का कब्जा है। जिनके द्वारा हमे हर साल काश्त पर दिया जाता है। खसरा नंबर 292,व 293 की वसीयत श्री मदनलाल पुत्र छोगालालजी द्वारा अपने जीतेजी अवस्था मे दिनांक 8–8–2017 को अपने पौत्र विपिनकुमार पुत्र अशोककुमार के पक्ष मे की गई है एवं दिनांक 29–9–2017 को वसीयत का पंजीकृम हो चुका था । दिनांक 19–8–2017 को मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि वसीयत के पैतृक संपति बाबत रेकर्ड की जांच करने पर पाया कि खतौनी संवत 2013 से 2032 मे बलवंतसिंह जागीरदार की भूमि दर्ज थी । जिसके गत खसरा नंबर 195,266,23 व 193 थे । संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी मे जागीरदार द्वारा बैचान करने पर खाता मदनलाल मूलचंद धरमचंद पि. छोगालाल हि.3/5 ब.हि.ब सा.माकरोडा व गिरधारीलाल परसादीलाल हि.2/5 अग्रवाल सा.पाडीव के नाम दर्ज हुआ जो जमाबंदी खतोनी संवत 2023 से 2026 मे दर्ज हुआ । दिनांक 5–5–79 को आपस मे बंटवाडा होने पर मदनलाल के हिस्से मे खसरा नंबर (गत) 266/3 के 39 बीघा 7 विवस्वा ,266/4/2 (उतर तरफ) 0.13विस्वा किता 2 रकबा 40 बीघा लगान 12.50 हिस्से मे आया । तत्पश्चात बंदोवस्त खतौनी अनुसार मिलान खसरा के आधार पर गत खसरा नंबर 266 मी. का 292 ख.नं. बना तथा 266 मी. रकबा 6.47 का 293 नया खसरा नंबर बना । बंदोवस्त खतौनी 2023 के अनुसार मदनलाल पुत्र छोगाजी के नाम खाता नंबर 5 खसरा नंबर 293 रकबा 0.01 गै.मु. चाह व 293 रकबा 6.47 चा.तृ.कुल रकबा 6.48 हेक्टेयर का खाता बना । जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार बदस्तुर है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को वसीयत की गई भूमि स्वअर्जित है। वसीयत स्व.मदनलाल द्वारा की गई सही है। जिसे अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। उक्त के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का द्वारा उत्तराधिकारी नामान्तकरण दायर करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग मे दर्ज वंशावली मे उत्तराधिकारी मे जगदीशचंद, अशोककुमार (पुत्र) विमलादेवी,वीणा,मधु (पुत्रीयॉ) के नाम दर्ज किया। पृष्ठांकित वंशावली मे अशोककुमार के अलावा सबके हस्ताक्षर करवाये गये है जो संदेह के दायरे मे है। चूंकि अशोककुमार भी स्थानीय निवास करते है। जबकि अन्य उत्तराधिकारी राज्य से बाहर निवास करते है। चूंकि उत्तराधिकार तय करने से प्रथम हक वसीयत का बनता है। इसके बाद उत्तराधिकारी तय होते है। तत्काकलीन पटवारी हल्का द्वारा जल्दबाजी मे की गई कार्यवाही प्रतीत होती है। अनुतोष यह है कि वसीयत स्वअर्जित संपति की हुई है। मौके पर कब्जा काश्त विपिन कुमार पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी मांकरोडा का बताया गया है।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय अपील व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28–8–2017,म्युटेशन संख्या 531 दिनांक 26–10–2017,वसीयतनामा दिनांक 28–8–2017 मृतक खातेदार मदनलाल की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 230 खसरा नंबर 292 रकबा 0.0100 हेक्टेयर,खसरा नंबर 293 रकबा 6.4700 हेक्टेयर आधार कार्ड मृतक मदनलाल व विपीनकुमार प्रार्थी तथा जवाब अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार,सिरोही का गहनतापूर्वक अध्ययन कर

Continue Page No 4

लेण्ड रिकार्ड आफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

उस पर मनन किया । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या 7 स्टेट तहसीलदार, सिरोही डा की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त तथ्यात्मक स्वीकृत स्थिति इस प्रकार है कि मौके पर उक्त खसरा नंबर 292,293 किता 2 रकबा 6.48 हेक्टेयर पर प्रार्थी के काश्तकार श्री मगनलाल पुत्र छोगाजी वागरी निवासी मांकरोडा व सेताराम पुत्र ताराजी मेघवाल निवासी मांकरोडा हाजिर मिलले । उनके द्वारा बताया गया कि उक्त विवादित खसरो पर हमे भोगवटे के तौर पर श्री विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी मांकरोा द्वारा कहने पर काश्त कर रहे है। इनके द्वारा बताया कि उक्त आराजी पर श्री विपिन कुमार का कब्जा है। जिनके द्वारा हमे हर साल काश्त पर दिया जाता है। खसरा नंबर 292, व 293 की वसीयत श्री मदनलाल पुत्र छोगालालजी द्वारा अपने जीतेजी अवस्था मे दिनांक 8–8–2017 को अपने पौत्र विपिनकुमार पुत्र अशोककुमार के पक्ष मे की गई है एवं दिनांक 29–9–2017 को वसीयत का पंजीकृम हो चुका था । दिनांक 19–8–2017 को मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि वसीयत के पैतृक संपति बाबत रेकर्ड की जांच करने पर पाया कि खतौनी संवत 2013 से 2032 मे बलवंतसिंह जागीरदार की भूमि दर्ज थी । जिसके गत खसरा नंबर 195,266,23 व 193 थे । संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी मे जागीरदार द्वारा बैचान करने पर खाता मदनलाल मूलचंद धरमचंद पि. छोगालाल हि.3/5 ब.हि.ब सा.माकरोडा व गिरधारीलाल परसादीलाल हि.2/5 अग्रवाल सा.पाडीव के नाम दर्ज हुआ जो जमाबंदी खतोनी संवत 2023 से 2026 मे दर्ज हुआ । दिनांक 5–5–79 को आपस मे बंटवाडा होने पर मदनलाल के हिस्से मे खसरा नंबर (गत) 266/3 के 39 बीघा 7 विवस्वा ,266/4/2 (उतर तरफ) 0.13विस्वा किता 2 रकबा 40 बीघा लगान 12.50 हिस्से मे आया । तत्पश्चात बंदोवस्त खतौनी अनुसार मिलान खसरा के आधार पर गत खसरा नंबर 266 मी. का 292 ख.नं. बना तथा 266 मी. रकबा 6.47 का 293 नया खसरा नंबर बना । बंदोवस्त खतौनी 2023 के अनुसार मदनलाल पुत्र छोगाजी के नाम खाता नंबर 5 खसरा नंबर 293 रकबा 0.01 गै.मु. चाह व 293 रकबा 6.47 चा.तृ.कुल रकबा 6.48 हेक्टेयर का खाता बना । जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार बदस्तुर है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को वसीयत की गई भूमि स्वअर्जित है। वसीयत स्व.मदनलाल द्वारा की गई सही है। जिसे अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। उक्त के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का द्वारा उत्तराधिकारी नामान्तकरण दायर करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग मे दर्ज वंशावली मे उत्तराधिकारी मे जगदीशचंद, अशोककुमार (पुत्र) विमलादेवी, वीणा, मधु (पुत्रीयॉ) के नाम दर्ज किया। पृष्ठांकित वंशावली मे अशोककुमार के अलावा सबके हस्ताक्षर करवाये गये है जो संदेह के दायरे मे है। चूंकि अशोककुमार भी स्थानीय निवास करते है। जबकि अन्य उत्तराधिकारी राज्य से बाहर निवास करते है। चूंकि उत्तराधिकार तय करने से प्रथम हक वसीयत का बनता है। इसके बाद उत्तराधिकारी तय होते है। तत्काकलीन पटवारी हल्का द्वारा जल्दबाजी मे की गई कार्यवाही प्रतीत होती है। अनुतोष यह है कि वसीयत स्वअर्जित संपति की हुई है। मौके पर कब्जा काश्त विपिन कुमार पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी मांकरोडा का बताया गया है।

विचारण प्रकरण मे विवेचन के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तक की ओर से सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर उक्त वर्णित खसरा नंबरान 292,293 किता 2 कुल रकबा 6.48 हेक्टेयर की पंजिकृत वसीयत स्व.अर्जित संपति की हुई है। तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी विपिनकुमार पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी मांकरोडा का होने के विवेचनाधीन प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 81 एल.आर.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3–11–2017 को ताफैसला मूल अपील कनर्फम किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तक को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि मौजा मांकरोडा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता नंबर नये 230 खसरा नंबर नये 292 रकबा 0.01 हेक्टेयर किस्म गै.मु. चाह तथा खाता नंबर 230 खसरा नंबर नये 293 रकबा 6.47 हेक्अेयर किस्म चाही 3 कुल किता 2 रकबा 6.48 हेक्टेयर जो स्व.मदनलाल पुत्र छोगालालजी जाति अग्रवाल निवासी मांकरोडा के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि है जिसका स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 6–10–2017 की पालना व कियान्विति प्रभाव किसी अन्य व्यक्तियों को विकय या किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करने हेतू मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र माकरोडा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)